न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:—वर्षा मीना(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03/2020	03.01.2020	18.02.2026

1. भगवानसिंह पुत्र जोहरसिंह जाति राजपूत निवासी पावण्डी तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार खण्डार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील खण्डार।
2. हल्का पटवारी पावण्डी तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री हरिलाल बैरवा अधिवक्ताप्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्रभू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेंश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

   - प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 1–7 बीघा, खसरा नम्बर 101 रकबा 01–05 बीघा, खसरा नम्बर 122 रकबा 7–06 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 09–18 बीघा ग्राम पावण्डी तहसील खण्डार में स्थित है। जो प्रार्थी की पैतृक आराजी है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है उक्त आराजीयात पहले वादी के पिता जौहरसिंह के नाम थी वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम वारिस होने की बजह से लग गई प्रार्थी को आम बोलचाल व व्यवहार में रामसिंह कहते है। रिकॉर्ड में अभिलेख में भगवान सिंह नाम है। वारिसान का नामान्तकरण करते समय आम बोलचाल के उपयोग लिया जाने वाला रामसिंह लिख दिया जबकि प्रार्थी का दस्तावेजों में नाम भगवान सिंह है प्रार्थी को दिनांक 17.12.2019 को नकल लेने पर पता चला प्रार्थी ने पटवार हलका से नाम शुद्धिकरण करने की बात कही तो पटवारी हल्का ने मना कर दिया एवं कहा कि न्यायालय से शुद्धिकरण करवाओं। प्रार्थी के पास यही विकल्प है कि श्रीमान न्यायालय की शरण लेकर प्रार्थना पत्रपेश करना नाम शुद्धिकरण करवाए यही कारण हे कि प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया।
   - दिनांक 17.12.2019 को मना करने पटवारी द्वारा नाम शुद्धिकरण करने पर प्रार्थना पत्र कारण अन्दर अधिकार क्षेत्र न्यायालय उत्पन्न हुआ।
   - प्रार्थी का नाम सम्बन्धित नामान्तकरण एवं जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह की जगह भगवान सिंह जोड़ा जाकर जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.24 14:25:20 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम पावण्डी में जमाबन्दी सम्बत् 2076–69 के

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

खाता संख्या 114 मे खातेदार रामसिंह पुत्र जोहरसिंह हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। रामसिंह पुत्र जोहरसिंह ग्राम मे आम बोल चाल मे बोले जाना वाला नाम बताया गया है। कागजातों मे प्रार्थी का नाम भगवानसिंह है। रामसिंह व भगवानसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है।
तहसीलदार खण्डार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है कि किस सम्बत/किस आधार पर अशुद्धि हुई। उक्त पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ./2026/4254 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2076–69 के खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 56, 101, 122 कुल किता 3 कुल रकबा 09–18 बीघा मे रामसिंह पुत्र जोहरसिंह हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी भूमि के बजाय प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र जोहरसिंह हिस्सा 1/5 करवाना चाहता है। नामान्तकरण संख्या 119 दिनांक 20.02.1975 से जोहरसिंह पुत्र लछमणसिंह के बजाय बहादुरसिंह भरतसिंह भगनसिंह रामसिंह नन्दसिंह पुत्र जोहरसिंह बहिब होना स्वीकार हुआ है।

3. वकील प्रार्थी द्वारा बहस करते हुए अपने प्रार्थना पत्रमें अंकित कथनों का दोहरान किया गया।प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 1–7 बीघा, खसरा नम्बर 101 रकबा 01–05 बीघा, खसरा नम्बर 122 रकबा 7–06 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 09–18 बीघा ग्राम पावण्डी तहसील खण्डार में स्थित है। जो प्रार्थी की पैतृक आराजी है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है उक्त आराजीयात पहले वादी के पिता जौहरसिंह के नाम थी वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम वारिस होने की बजह से लग गई प्रार्थी को आम बोलचाल व व्यवहार में रामसिंह कहते है। रिकॉर्ड में अभिलेख में भगवान सिंह नाम है। वारिसान का नामान्तकरण करते समय आम बोलचाल के उपयोग लिया जाने वाला रामसिंह लिख दिया प्रार्थी का नाम सम्बन्धित नामान्तकरण एवं जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह की जगह भगवान सिंह जोड़ा जाकर जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावें।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ. /2026/4254 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2076–69 के खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 56, 101, 122 कुल किता 3 कुल रकबा 09–18 बीघा में रामसिंह पुत्र जोहरसिंह हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी भूमि के बजाय प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र जोहरसिंह हिस्सा 1/5 करवाना चाहता है। नामान्तकरण संख्या 119 दिनांक 20.02.1975 से जोहरसिंह पुत्र लछमणसिंह के बजाय बहादुरसिंह भरतसिंह भगनसिंह रामसिंह नन्दसिंह पुत्र जोहरसिंह बहिब होना स्वीकार हुआ है। उक्त आराजी खसरा नम्बरों में प्रार्थी का नाम रामसिंह जरिये विरासत से दर्ज होना बताया गया है। रामसिंह पुत्र जोहरसिंह को गांव में आम बोल चाल में बोले जाना वाला नाम बताया गया है। कागजातों में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह है। रामसिंह व भगवानसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है।प्रार्थी के दस्तावेज (पहचान पत्र, आधारकार्ड) में भगवानसिंह अंकित है।उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.24 14:25:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रअन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2076–69 के खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 56, 101, 122 कुल किता 3 कुल रकबा 09–18 बीघा वांके ग्राम पावण्डी तहसील खण्डार में रामसिंह पुत्र जोहरसिंह के स्थान पर भगवान सिंह उर्फ रामसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

जोहरसिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हों तथा बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.24 14:25:20 IST
Reason: SelfAttested